114-1

IV 145

बिहार सरकार

जिला निबंधन कार्यालय, पटना

दिनांक 10/02/2005 [illegible] Subhash Prasad Yadav [illegible]

निबंधन हेतु उपस्थापित किया गया । इसने रु० 1000/- मुद्रांक शुल्क एवं रु० 4459/- निबंधन तथा अन्य शुल्क का भुगतान किया गया । दस्तावेज ग्राह्य पाया गया ; जिन लेख्यकारियों ने मेरे समक्ष इसका निष्पादन स्वीकार किया [illegible] तथा उनके [illegible] नाम, फोटो, अंगुलियों के निशान एवं हस्ताक्षर [illegible] पीछे अंकित हैं । इसे क्रमांक सं० 145 , [illegible] पुस्तक सं० 4 की जिल्द सं० 2 , के पृष्ठ सं० 515 से 526 तक CD 1 में आज निबंधित एवं कुल 12 पृष्ठों में संधारित किया गया ।

(Bidya Nand Paswan)

निबंधन पदाधिकारी

Date : 10/02/2005

एस.आर.एजुकेशनल फाउंडेशन का न्यास विलेख

[illegible] न्यास [illegible] विलेख आज दिनांक 9.2.2005 को निम्नलिखित के द्वारा निष्पादित हुआ :-

श्री सुभाष प्रसाद यादव, पिता का नाम श्री शिव प्रसाद यादव, निवासी- मकान संख्या-201, संसद विधायक कॉलोनी, [illegible], [illegible], [illegible], जिला पटना, [illegible] [illegible] संस्थापक, प्रथम भाग कहा गया है।

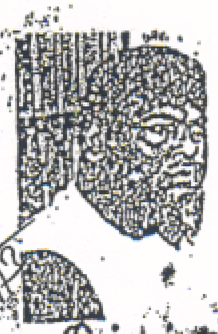

Principal
Vidya Sanskar School
Gokhula Path
Bailey Road, Patna (Bihar)

VIDYA SANSKAR SCHOOL

[illegible]
201, SANSAD VIDHAYAK COLONY
[illegible] Nagar, Patna -800014
CHAIRPERSON
VIDYA SANSKAR SCHOOL
GOKHULA PATH OF BAILEY ROAD
PATNA, BIHAR

1. श्री सुभाष प्रसाद यादव, पिता का नाम श्री शिव प्रसाद यादव, निवासी- मकान संख्या-201, संसद विधायक कॉलोनी, कौटिल्य नगर, राजा बाजार, पटना-14, जिला- पटना, (जिसमें जब तक इस संदर्भ के विरोधी या इससे अलग नहीं किये गए हों, इस विलेख के लिए अस्थायी तौर से उसके न्यासी या न्यासीगण या उनके कार्यरत उत्तराधिकारी शामिल समझे जायेंगे) जिसे आगे प्रथम न्यासी अन्य भाग कहा गया है।

एवं

2. श्रीमती रेणु यादव पति का नाम श्री सुभाष प्रसाद यादव, निवासी- मकान संख्या-201, संसद विधायक कॉलोनी, कौटिल्या नगर, राजा बाजार, पटना-14, जिला- पटना,

3. श्री राजाराम सिंह पिता का नाम श्री रामसेवक सिंह, निवासी ग्राम- सेलार बाजार, पोस्ट एवं थाना- फुलवरीया, जिला- गोपालगंज,

4. श्री शिवजी यादव पिता का नाम श्री सुन्दर यादव, निवासी- क्वार्टर नं.- 290/800, लाल बहादुर शास्त्री नगर, पटना-800023, जिला- पटना (जिसमें जब तक इस संदर्भ के विरोधी या इससे अलग नहीं किये गये हों, इस विलेख के लिए अस्थायी तौर से उनके और उनके कार्यरत उत्तराधिकारी शामिल समझे जायेंगे) जिसे आगे अन्य भाग का न्यासीगण कहा गया है:

यह कि संस्थापक सार्वजनिक धार्मिक उद्देश्य से एक न्यास की स्थापना के इच्छुक है और यह कि संस्थापक के आग्रह पर न्यासीगण ने इस विलेख के पक्षधारी बनकर तथा इसे निष्पादित कर इसे प्रमाणित कर दिया है, इस विलेख के प्रथम न्यासी के रुप मे कार्य करना स्वीकार किया है और यह कि इस विलेख के अन्तर्गत निमित इस सार्वजनिक धातव्य न्यास के उद्देश्यो एवं शर्तो को घोषणा करना आवश्यक है)

अब इस संविदा में निम्नलिखित साक्षी है :-

1. यह कि अपने उपरोक्त इच्छा को कार्यरुप देने के लिए संस्थापक ने रु. 11,000/ [illegible] सुरक्षित कर न्यासी को सौप दी है (जो आगे 'प्रथम कोष' के रुप मे नगद, अन्यान्य सम्पति अथवा किसी अन्य प्रकार का निवेश जिसमे वह अथवा उसका कोई अंश समय-समय पर रुपांतरित किया जा सके, निवेपित किया जा सके अथवा न्यासी/न्यासियो द्वारा अर्जित किया जा सके अथवा इस विलेख के से कानूनी कार्यवाई के द्वारा उनके हाथ मे आ [illegible] उसे धारित करेंगे

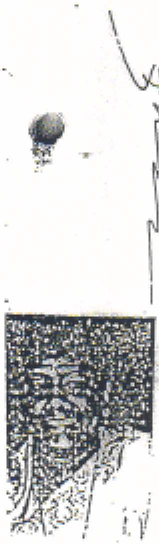

रेणु यादव

Principal
Vidya Sanskar School
Gokhula Path
Bailey Road, Patna (Bihar)

201, SANSAD VIDHAYAK COLONY
CHAIRPERSON
VIDYA SANSKAR SCHOOL
GOKHULA PATH OF BAILEY ROAD
PATNA, BIHAR

और अपने कब्जे में रखेंगे जो इस विलेख में निहित अधिकारों, व्यवस्थाओं, करारनामा एवं घोषणाओं के अधीन होगा)

2. यह कि इस न्यास का नाम एस.आर. एजुकेशनल फाउंडेशन होगा तथा वर्तमान समय में इसका कार्यालय- 201, संसद विधायक कॉलोनी, कौटिल्य नगर, राजा बाजार, पटना 14, जिला- पटना, में और/अथवा समय-समय पर न्यासियों द्वारा तय स्थान पर होगा।

3. यह कि इस न्यास के निम्नलिखित उद्देश्य है :-

(ए) शिक्षा के विकास एवं उन्नयन तथा सामान्यजनों के बीच ज्ञान का प्रसार करने के लिए विद्यार्थियों एवं कर्मचारियों के उपयोग के लिए स्कूल, कॉलेज, पुस्तकालय, वाचनालय, विश्वविद्यालय, प्रयोगशाला, मैनेजमेंट, शोध तथा अन्य प्रकार के भारत में संस्थानों की स्थापना, संचालन, समर्थन करना, सहायता देना तथा आर्थिक सहायता प्रदान करना।

(बी) बच्चों की सुदृढ़ प्राथमिक, प्राक्-प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक वरीय माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्य से स्कूलों/कॉलेजों को स्थापित करना, प्रारंभ करना, संचालित करना, अधिग्रहण करना अथवा उनकी व्यवस्था एवं संधारण करना।

(सी) स्कूल एवं कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों की स्थापना एवं संधारण करना।

(डी) सर्व साधारण के हित एवं उपयोग के लिए अस्पतालों, मेडिकल स्कूलों, मेडिकल कॉलेजों, मैनेजमेन्ट संस्थान एवं तकनीकि शिक्षण संस्थान, डीम्ड युनिवर्सिटी, विदेशी पाठ्यक्रम, नर्सिंग संस्थाओं, दवा-दुकानों, मातृत्व घरों, बाल विकास केन्द्रों एवं/अथवा इसी प्रकार की भारत में अन्य धातव्य संस्थाओं की स्थापना, विकास, संधारण तथा नकदी सहायता करना।

(ई) टंकन, आशु लिपि, कम्प्यूटर, ललित कला, संगीत, नृत्य, चित्रकला, मॉडलिंग, योग, शारीरिक शिक्षा तथा अन्य व्यवसायिक एवं प्रशिक्षण विषयों में प्रशिक्षण संस्थाओं की व्यवस्था एवं प्रबंधन करना।

(एफ) स्कूल एवं कॉलेज के विद्यार्थियों तथा कर्मचारियों के लिए भोजन, कपड़ा, स्वास्थ्य सुविधा, लेखन सामग्री, परिवहन, पुस्तकालय, वाचनालय, छात्रावास, प्रयोगशाला, क्रीड़ास्थल, स्नानागार तथा अन्य संभव सुविधाओं की व्यवस्था करना।

(जी) न्यास के उद्देश्यों एवं प्रयोजनों के प्रसार एवं विस्तार के लिए कर्मचारी, कामगार, विशेषज्ञों, विशेषज्ञों एवं अन्य व्यवसायिकों,

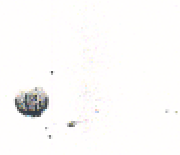

Principal
Vidya Sanskar School
Gokhula Path
Bailey Road, Patna (Bihar)

S. R. EDUCATIONAL FOUNDATION
201, SANSAD VIDHAYAK COLONY
Kautilya Nagar, Patna -800014
Ph. No. (0612) 2225817

CHAIRPERSON
VIDYA SANSKAR SCHOOL
GOKHULA PATH OF BAILEY ROAD
PATNA, BIHAR

VIDYA SANSKAR SCHOOL

प्रबंधको, अभिकर्ताओ को कार्यरत करना, नियोजित करना, पारिश्रमिक पर नियोजित करना तथा उन्हें वेतन, पारिश्रमिक, शुल्क एवं छात्रवृत्ति देना।

(एच) साक्षरता, सांस्कृतिक एवं अन्य सामाजिक गतिविधियों को जागरुकता अभियान कार्यक्रमो, वयस्क शिक्षा कक्षाओ, भाषणो, लेख प्रतियोगिताओ, संगोष्ठियो, सांस्कृतिक कार्यक्रमो, पत्रकार सम्मेलनो एवं विचार गोष्ठी आयोजित कर संवर्द्धित करना।

(आई) न्यास के नाम से भूमि अथवा भवन क्रय/अर्जित करना तथा एवं उसपर भवन निर्माण करना।

(जे) बिना किसी जाति, रंग, वंश, धर्म अथवा लिंग के भेदभाव के विद्यार्थियो को छात्रवृत्ति, निःशुल्कता एवं अन्य प्रकार की सुविधा की स्थापना एवं संधारण करना जिसमे पुस्तक की आपूर्ति, छात्रवृत्ति, पदक तथा अध्ययन के लिए अन्य सुविधायें शामिल है।

(के) विज्ञान, साहित्य, संगीत, नाट्यकला एवं ललित कलाओं को संस्थाओ को स्थापित करने, बढ़ावा देने, समर्थन देने, संधारण करने के लिए सहायता स्वीकृत करने तथा सर्व साधारण के हित के लिए समतुल्य उद्देश्यो से भारत मे ऐतिहासिक धरोहरो को एवं शोध संस्थाओ का संरक्षण करना।

(एल) जन साधारण के उपयोग के लिए नाव, उद्यान, बागीचा, अन्तराष्ट्रीय पर्यावरण, व्यायामशाला, खेल-कूद क्लब, धर्मशाला एवं विश्राम गृह की स्थापना करना, संधारण करना तथा सहायता देना।

(एम) गरीबो, जरुरतमन्दो, अनाथो, विधवाओ और बुजुर्गो को सहायता एवं राहत के लिए अनाथालय, बुजुर्गो के लिए आवास, अथवा अन्य संस्थाओ की स्थापना करना, रख-रखाव करना अथवा सहायता देना।

(एन) शारीरिक रुप से विकलांग एवं अपंग अथवा मानसिक रुप से मंद बुद्धि लोगो के लिए संस्थाओ की स्थापना करना तथा विकसित करना तथा ऐसे लोगो के लिए भोजन, कपड़ा, शिक्षा एवं अन्य सहायता की व्यवस्था करना।

(ओ) प्राकृतिक आपदाओ यथा अकाल, भूकम्प, बाढ़, आगलगी, महामारी इत्यादि के समय पीड़ित जरुरतमंद लोगो को राहत एवं सहायता प्रदान करना तथा ऐसे कार्यो से संलग्न संस्थाओ एवं व्यक्तियो को दान तथा अन्य सहायता प्रदान करना।

(पी) अन्य सार्वजनिक धातव्य न्यासो एवं संस्थाओ को आर्थिक सहायता करना अथवा मदद करना।

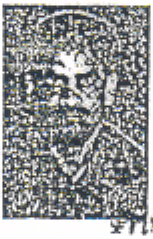

Principal
Vidya Sanskar School
Gokhula Path
Bailey Road, Patna (Bihar)

रेणु यादव

CHAIRPERSON
VIDYA SANSKAR SCHOOL
GOKHULA PATH OF BAILEY ROAD
PATNA, BIHAR

(क्यु) ऐसे कार्य/गतिविधियाँ करना जो न्यास के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अथवा जो इसके अनुकूल हो अथवा आकस्मिक हो।

उपरोक्त सामान्य उद्देश्यों के प्रति बिना पूर्वाग्रह के एवं उन्हें प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के लिए न्यासियों को पूरा अधिकार होगा कि किसी प्रकार की परिसम्पत्तियाँ सहित किसी तरह की सम्पत्ति को धारण करें, कब्जे दें एवं किसी भवन का निर्माण करें, रख-रखाव करें। न्यास के कर्मचारियों के भत्ते के लिए कोषगठित करने के संदर्भ में न्यास की किसी सम्पत्ति को हस्तांतरित करें अथवा अन्य तरह से निस्सारण करें बेचें अथवा अनुबंध करें तथा जिस न्यास में इस न्यास की अभिरुचि हो उसका प्रबंधन एवं उपदान स्वीकार करना। न्यासियों को इस संविधान के अन्तर्गत नियम एवं परिनियम बनाने का अधिकार होगा।

4. संस्थापक की न्यासियों में से एक होगा, न्यास के सदस्यों के बहुमत से संस्थापक एवं प्रथम न्यासी अपने जीवन काल में सह-न्यासी नामित कर सकते हैं।

5. अगर न्यासियों में से कोई दिवालिया हो जाता है अथवा नैतिक चरित्रहीनता का दोषी पाया जाता है अथवा निधन हो जाता है अथवा अपने पद से त्याग पत्र दे देता है अथवा किसी तरह शारीरिक रुप से कमजोर हो जाता है, ऐसी स्थिति में शेष न्यासीगण जब तक संस्थापक जीवित हैं उनकी सहमति से उनकी और से न्यासियों के बहुमत से उसे प्रस्थापित कर सकते हैं।

6. अगर न्यासियों के बीच कोई मतभेद हो तो न्यास के बहुमत सदस्यों का न्यास से संबंधित निर्णय बाध्यकारी और प्रभावी होगा तथा इसे कार्यान्वित किया जायेगा।

7. अपने उद्देश्य की पूर्ति के अभाव में अथवा कार्य करने में [illegible] हो जाने पर न्यास को [illegible] की स्थिति में न्यासीगण समान विषय में न्यास के शेष कोष के उपयोग के लिए न्यायालय की शरण लेंगे।

8. न्यासीगण किसी भी स्थिति में न्यास की सम्पत्ति की हानि के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे जब तक वे किसी जालसाजी के दोषी नहीं हैं।

9. यह कि न्यास का कोष उपर्युक्त कंडिका तीन में सुस्पष्ट उद्देश्य के अलावा किसी और उद्देश्य के लिए प्रयुक्त नहीं होगा।

10. यह कि न्यास कोष को आरंभिक कोष से तथा दान एवं अप्रवासी भारतीयों सहित किसी व्यक्ति से अंश दान लेकर संवर्द्धित

Principal
Vidya Sanskar School
Gokhala Path
Bailey Road, Patna (Bihar)

रेणु यादव
S. R. EDUCATIONAL FOUNDATION
201, SANSAD VIDHAYAK COLONY
[illegible] Nagar, Patna -800014
Ph. No. (0612) 2225512
CHAIRPERSON
VIDYA SANSKAR SCHOOL
GOKHULA PATH OF BAILEY ROAD
PATNA, BIHAR

किया जा सकता है।

11. यह कि न्यासीगण हमेशा न्यास का उचित खाता संधारित करेंगे जो न्यास के कार्यालय में रखा जायेगा।

12. यह कि न्यास के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए न्यासीगण को निम्नलिखित अधिकार होंगे।

(ए) कोई भी दान, चंदा, अनुदान एवं सहयोग राशि नकद या सामान किसी भी व्यक्ति, संगठन अथवा न्यास से सशर्त अथवा बिना शर्त स्वीकार करने का अधिकार। संस्थापक अथवा न्यासीगण से ऋण भी लिया जा सकता है जिसकी सूद की दर वर्तमान बैंक दर से अधिक नहीं होगी।

(बी) न्यास की आय का सम्पूर्ण अथवा कोई भाग अथवा न्यास कोष या उसमें जमा हुई रकम को न्यास के एक अथवा अन्य उद्देश्यों के लिए जिसे न्यासीगण समय-समय पर अपने विवेक से उचित समझे।

(सी) अस्थायी रुप से न्यास की सम्पत्ति अथवा किसी निवेश को परिवर्तित करना एवं उसका संचालन करना।

(डी) न्यास कोष को अचल सम्पत्ति को गिरवी रखने के उद्देश्य से अथवा शेयर, ऋण पत्र अथवा अन्य परिसम्पत्तियों एवं निवेशों में अथवा बैंक या किसी कम्पनी में निवेश करने का अधिकार। इसमें किसी कम्पनी, बैंक को, व्यवसायिक प्रतिष्ठान को अथवा किसी अन्य व्यक्ति को ऋण देने का अधिकार, उसे बदलने, क्रम परिवर्तन करने का अधिकार शामिल है जो समय-समय पर न्यासीगण के विवेक पर होगा।

(ई) मुद्रा उधार लेना, एकत्र करना, मुद्रा सुरक्षित करना तथा प्रतिभू सहित या प्रतिभू के बिना रकम उधार देना।

(एफ) न्यास कोष की किसी सम्पत्ति को बेचने, निपटारा करने, स्वत्व अलग करने अथवा अन्य तरीके से निष्पादित करना।

(जी) न्यासकोष में निहित किसी अचल सम्पत्ति को भाड़े पर देना, पट्टीयत करना उतने समय अथवा उन शर्तों एवं भाड़े पर जिसे न्यासीगण उचित समझें।

(एच) न्यास, न्यासीगण अथवा न्यास द्वारा संचालित किसी बैंक के नाम में खाता खोलना, ऐसे खाते का संचालन करना तथा बैंक को निर्देश देना एवं उक्त खाते को खोलने एवं संचालन के लिए एक अथवा अनेक न्यासीगण या न्यासीगण द्वारा नियुक्त किसी अभिकर्ता की व्यवस्था करना। इसका सम्पूर्ण निर्देश देने का अधिकार सेटलर (संस्थापक) को होगा।

Principal
Vidya Sanskar School
Gokhula Path
Bailey Road, Patna (Bihar)

रेणु यादव
S. E. EDUCATIONAL FOUNDATION
201, SANSAD VIDHAYAK COLONY
Kautilya Nagar, Patna -800014
Ph. No. (0612) 2225812
CHAIRPERSON
VIDYA SANSKAR SCHOOL
GOKHULA PATH OF BAILEY ROAD
PATNA, BIHAR

पटना

(आई) न्यास के संचालन के उद्देश्य से ऐसे ढंग से एवं ऐसी शर्तो एवं बंधेज पर जो न्यासी द्वारा स्वीकृत नियमो एवं परिनियमो के अधीन हो किसी व्यक्ति को नियोजित करना अथवा नियोजन का व्यवस्था करना (जिसमें कोई अथवा सभी न्यासीगण अथवा समितियाँ अथवा प्रशासक अथवा प्रबंधक न्यासी अथवा अन्य शामिल है)। साथ ही पृथक न्यासीगण को नियोजित करने अथवा इसकी व्यवस्था करने जिन्हे समय-समय पर न्यासीगण के विवेक से निमित नियम या परिनियम के अधीन इस विलेख की व्यवस्थाओ के अधीन किसी कोष अथवा निवेश को अपने अधिकार मे रखना। यह अधिकार सिर्फ सेटलर का ही होगा।

(जे.) न्यास के कार्यो एवं इसके उद्देश्यो को आगे बढ़ाने के लिए तथा वेतन, मजदूरी, छात्रवृति या शुल्क का भुगतान करने के लिए उचित कर्मचारी, कामगार, कानूनी विशेषज्ञ, अन्य व्यवसायिको, अभिकर्ताओ एवं प्राधिकार व्यवस्थापक को नियुक्त करना, नियोजित करना एवं भाड़े पर लगाना।

(के) न्यास के उद्देश्यो के संचालन तथा उसके प्रबंधन कार्यो के लिए अथवा न्यास के उद्देश्यों के निष्पादन के लिए किसी संस्था का संचालन करने के लिए अथवा अन्य तरीके से न्यास के उद्देश्यो को प्रभावकारी बनाने के लिए किसी नियम, परिनियम, बनाना, परिवर्तन करना, अथवा किसी योजना को संशोधित करना।

(एल) सार्वजनिक हित के लिए किसी परोपकारी अथवा परोपकारी संस्थान का प्रारंभ एवं समापन, बीच में छोड़ देना एवं पुनः प्रारंभ करना एवं उनके द्वारा किसी दान अथवा अंशदान पर कोई शर्त लागू करना।

(एम) न्यास के किसी उद्देश्य के लिए न्यास कोष अथवा न्यास कोष संकुल को अथवा उसके किसी अंश को अलग रखना अथवा एवं उसकी पूरी अथवा आंशिक आय को आवंटित करना।

(एन) इस न्यास के उद्देश्यो एवं प्रकृति के अनुरूप न्यासीगण जो अपने विवेक से उचित समझे उचित शर्तो एवं बंधेज पर दूसरे समान एवं संबद्ध उद्देश्यो वाले न्यास से इस न्यास को जोड़ना, परस्पर सहयोग करना एवं उसमे मिला देना

(ओ) न्यास कोष अथवा न्यास संकुल को आगे अन्य परोपकारी संस्थानो समितियों, संगठनो, न्यासो जिनकी स्थापना भारत मे समान परोपकारी उद्देश्यो के लिए हुई हो या होने वाली हो जिसका वर्णन इस विलेख मे है अथवा उनमे से किसी संस्था,

Principal
Vidya Sanskar School
Gokhula Path
Road, Patna (Bihar)

VIDYA SANSKAR SCHOOL

रेणु यादव

S. R. EDUCATIONAL FOUNDATION
201, SANSAD VIDHAYAK COLONY
Kautilya Nagar, Patna -800014
Ph. No. (0612) 2235812
VIDYA SANSKAR SCHOOL

समिति, संगठन अथवा न्यास को प्रारंभ करने, संधारित करने अथवा ऐसे परोपकारी उद्देश्य को संचालित करने के लिए दान के रूप में सहायता देना।

(पी.) सभी खातों का निपटारा करना एवं बिना किसी हानि के लिए जवाबदेह हुए बिना जो ऐसे उद्देश्य के लिए उचित समझा जाए उनका पृथक करना, मिलाना, छोड़ देना अथवा दूसरों के लिए सुपुर्द करना।

(क्यू) इस विलेख में वर्णित एक या सभी उद्देश्यों के लिए इस न्यास कोष की किसी सम्पति की प्रतिभू पर अथवा अन्य तरीके से पैसा उधार लेना और यह न्यासीगण के लिए विधि सम्मत होगा कि अपने निर्णय स्वविवेक से सूद की दर तथा शर्त एवं बंधेज तय कर ऐसी उधारी प्राप्त करें।

(आर) न्यास के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने तथा सरकारी विभागों, जनता एवं अन्य संस्थाओं, निगमों, कम्पनियों या व्यक्तियों के साथ किसी योजना या अन्य कामों के लिए न्यास के उद्देश्यों के अनुरूप अनुदान सहायता, उधार, चंदा एवं अन्य सहायता प्राप्त करने के लिए सरकार, [illegible] संस्थाओं, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] तथा अन्य संस्थाओं, निगमों, कम्पनी या व्यक्तियों के पास आवेदन करना।

(एस) समान उद्देश्यों वाले अन्य परोपकारी न्यास, समिति, संघ, अथवा संस्था को अधिग्रहण करना अथवा अपने में मिला लेना।

(टी) न्यास को किसी शाखा या अन्य न्यास अथवा इसकी किसी शाखा जिसके समान इस न्यास के समान उद्देश्य है उसकी स्थापना करना, उसे आगे बढ़ाना, उसका प्रबंधन करना, उसे संगठित करना, अथवा उसे संधारित करना या उसकी स्थापना, विकास, प्रबंधन, संगठन अथवा संधारण में सहायता करना तथा इस न्यास के साथ ऐसे अन्य न्यास की सम्बद्धता अथवा समामेलन को आगे बढ़ाना एवं उसका संचालन करना।

(यू) इस न्यास के समान उद्देश्य वाली किसी वर्तमान संस्था या संस्थाओं का अधिग्रहण करना, उसे अर्जित करना, उसका प्रबंधन करना, नियंत्रण करना वैसी शर्तो एवं बंधेज पर जो हितकर समझे जाए।

(भी) जिन न्यासों, समितियों, संस्थाओं अथवा संघों के सम्मेलन के लिए यह न्यास प्राधिकृत है उसे क्रय करना, अथवा अन्य तरीके से अर्जित करना, उसकी सम्पूर्ण या आंशिक सम्पत्ति, देनदारी एवं प्रतिबद्धता को अधिग्रहित करना।

Principal
Vidya Sanskar School
Gokhula Path
Bailey Road, Patna (Bihar)

VIDYA SANSKAR SCHOOL

S. R. EDUCATIONAL FOUNDATION
201, SANSAD VIDHAYAK COLONY
Kautilya Nagar, Patna -800014
Ph. No. (0612) 2225812
CHAIRPERSON
VIDYA SANSKAR SCHOOL
GOKHULA PATH OF BAILEY ROAD
PATNA BIHAR

(डब्लू) इस न्यास की सारी सम्पत्ति या कोई अंश, वैभव, देनदारी तथा प्रतिबद्धता को एक या अनेक न्यास, समितियां, संस्थाओं अथवा रांगों जिसके संचालन के लिए यह न्यास प्राधिकृत है, उसे हस्तांतरित करना।

(एक्स) न्यासीगण अपने पूर्ण स्वविवेक से जिस समिति, निगम, संस्था न्यास या संगठन को इस विलेख में वर्णित अधिकारों व्यवस्थाओं, समझौतों एवं घोषणाओं के अधीन तथा जो इस न्यास कोष के हस्तांतरण से यथा आवश्यक संशोधनों के अधीन है, इन न्यास को किसी दूसरे, निगम, समिति, संस्था, न्यास में हस्तांतरित करना तथा सुपुर्द करना। इस विलेख के न्यासीगण अस्थायी रूप से इस प्रकार हस्तांतरित न्यास कोष के बाबत बन्डोस्त समझे जायेंगे।

(13) न्यासीगण मात्र वैसी ही रकम, भंडार, शेयर एवं निधि जो उनके वास्तविक हाथ में आएगी, उनके लिए उत्तरदायी होंगे तथा कोई न्यासी दूसरे न्यासी की लापरवाही, गलती, भूल-चूक अथवा किसी बैंकर या दूसरे व्यक्ति जिसके पास न्यास की सम्पति या परिसम्पतियाँ रखी या जमा है के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

(14) न्यासीयों की संख्या संस्थापक सहित दो से कम नहीं होंगे तथा सात से अधिक नहीं होगी। अगर न्यासियों की संख्या दो से कम हो जाती है तो न्यासी रिक्तयों को भरने के उद्देश्य के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं करेगा: क्योंकि न्यासियों की संख्या न्यूनतम से कम है।

(15) प्रबंधन न्यासी को अस्थायी रूप से यह अधिकार होगा कि वे उपरोक्त संख्या के अन्तर्गत न्यासीगण जितने समय अथवा सेवा निवृत्ति एवं पुनः प्रवेश की जिन शर्तों एवं बंधेज पर उचित समझे अतिरिक्त न्यासी को न्यास में शामिल कर सकते है। कोई व्यक्ति न्यासी नहीं रहेगा अगर (i) अगर वह बिना अवकाश की छुट्टी के न्यास की तीन लगातार बैठकों में अथवा एक कैलेन्डर वर्ष में जो भी अधिकतर हो, उपस्थित नहीं होता है। (ii) अगर उसे तीन चौथाई या यथासंभव उसके करीब शेष न्यासीगण उसे त्यागपत्र देने का आग्रह करते है, लेकिन यह निदेश सेटलर के लिए सुरक्षित है।

(16) प्रत्येक न्यासी को यह अधिकार होगा कि वह अपने इस इरादे का एक महीने का नोटिस देकर त्याग पत्र दे सकता है।

(17) समय-समय पर न्यासीगण न्यासीयों की बैठक के संचालन के लिए नियम परिनियम बना सकते है। ऐसे परिनियमों की अनुपस्थिति में :-

Principal
Vidya Sanskar School
Gokhula Path
Bailey Road, Patna (Bihar)

S. B. EDUCATIONAL FOUNDATION
201, SANSAD VIDHAYAK COLONY
Kautilya Nagar, Patna-800014
Ph. No. (0612) 2225812

(a) न्यासियों की बैठक के लिए दो न्यासियों का कोरम मान्य होगा।

(b) न्यासीगण सभी मुद्दे परस्पर तय करेंगे

(c) जो संकल्प न्यासियों की बैठक के बिना पारित हुआ है, लेकिन उनका प्रसारण हुआ है तथा न्यासियों के दो तिहाई संख्या के [illegible] की बैठक में पारित कोई संकल्प।

(18) किसी संशय की स्थिति में कि क्या कोई रकम अथवा सम्पति परोपकार के लिए पूंजी अथवा आय के रूप में तथा क्या आय अथवा पूंजी से कोई खर्च वहन किया जा सकता है या उसका भुगतान किया जा सकता है, सेटलर को इस पर विचार करने तथा तय करने का अधिकार होगा। ऐसा निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा बशर्ते इसमें ऐसा कुछ नही होगा जो न्यासीगण को न्यास की आय को खर्च करने के लिए अधिकृत करता है उन उद्देश्यों के लिए जो इस विलेख द्वारा अधिकृत नही है:

(19) न्यास का लेखा वर्ष प्रत्येक साल 31 मार्च को समाप्त होने वाला वित्तीय वर्ष होगा।

(20) न्यास और न्यास कोष सर्वदा के लिए होंगे और अपरिवर्तनीय होंगे।

(21) न्यास का कार्यालय पटना में स्थित होगा बशर्ते कि यह न्यासियों की दो तिहाई बहुमत से बदल न दिया गया हो।

(22) यह स्पष्ट घोषित किया जाता है कि न्यास की सम्पति [illegible] से परोपकारी उद्देश्य नही है तथा इसके सभी प्रावधान उसी रूप में लिए जायेंगे।

(23) राज्य सरकार, केन्द्र सरकार की संस्था या कम्पनी एवं राज्य सरकार के विधान सभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य या केन्द्र सरकार के लोक सभा सदस्य या राज्य सभा सदस्य से न्यास के विकास के लिए निधि लेने के लिए स्वतंत्र है।

(24) न्यास अपने स्थानीय क्षेत्र के भी प्रमुख जिला परिषद, नगर परिषद, विधायकों, विधान परिषदों एवं संसद निधि से न्यास के विकास के लिए सहयोग व निधि ले सकते हैं।

(25) सार्वजनिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सांसद या अन्य मद में भाग या अन्य सहयोग लेना न कार्यरत करना या कराना।

(26) न्यास कोष में निमित किसी अचल सम्पति को भाड़े पर

Principal
Vidya Sanskar School
Gokhula Path
Bailey Road, Patna (Bihar)

VIDYA SANSKAR SCHOOL

S. R. EDUCATIONAL FOUNDATION
201, SANSAD VIDHAYAK COLONY
Kautilya Nagar, Patna-800014
Ph. No. (0612) [illegible]

VIDYA SANSKAR SCHOOL
GOKHULA PATH OF BAILEY ROAD
PATNA, BIHAR

देना, [illegible] बिक्री करना, अथवा व्यवस्थित करना उतने समय अथवा [illegible] शर्तों पर जिसे न्यासीगण उचित समझें।

(27) [illegible] इंडियन स्टैम्प एक्ट की धारा 64 के अनुसार न्यास की [illegible] की मुद्रांक शुल्क निर्धारित करने के लिए न्यास की सम्पति का मूल्य 17,000 (सत्तर हजार) मात्र पर एक हजार मुद्रांक शुल्क [illegible] होगी।

उपर्युक्त अंकित दिन, तारीख एवं वर्ष को सभी पक्षकारों ने अपना- अपना हस्ताक्षर निम्न गवाहों के समक्ष बना दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवें :- 9.2.2009

गवाहगण :-

1. Rajiv Gupta 9.2.09
S/o Sri Ram Pukar Gupta
C/302 Hari Radha Apartment
North Shri Puri
Boring Road Patna
9934469349

2. Kaushal Kishore 9.2.09
S/o Late Jamuna Singh
43, Anandpuri
Patna-1
9431017320

9.2.09
संस्थापक का हस्ताक्षर
9.2.09
9.2.09
Shivjee yadav 9.2.09

न्यासियों का हस्ताक्षर

प्रारूप तैयार किया

(अनिल कुमार सिन्हा "उद्योगी")
अधिवक्ता
बी.ए.(ऑनर्स), एम.ए., एल एल.बी.
"चैम्बर", समाहरणालय अधिवक्ता संघ,
पटना।

मुद्रित किया:-
(संजीव कुमार)
उद्योगीजी का चैम्बर
समाहरणालय अधिवक्ता संघ,
पटना।

Principal
Vidya Sanskar School
Gokhula Path
Bailey Road, Patna (Bihar)

VIDYA SANSKAR SCHOOL

S. R. EDUCATIONAL FOUNDATION
201, SANSAD VIDHAYAK COLONY
Kautilya Nagar, Patna
Ph. No. (0612)

पटना

P. 11